राजस्थान सरकार

कार्यालय,अधीक्षण अभियन्ता(यॉ.एवं छि.) खान एवं भूविज्ञान विभाग

रोड़वेज वर्कशॉप के सामने, गोवर्धन विलास रोड, सेक्टर–13, उदयपुर, (राज.)

Email- se.mdudaipur@rajasthan.gov.in Phone No. 0294-2484551

निविदादाताओं के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1. निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदादाता द्वारा सावधानी पूर्वक निविदा दस्तावेज, खुली निविदा सूचना, कार्य की सेवा प्रदायगी की सामान्य शर्ते एवं निर्देश, निविदादाताओं के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश, घोषणा पत्र, अनुबंध A,B,C,D व वित्तीय निविदा प्रपत्र को प्राप्त व अध्ययन कर निविदाऐं प्रस्तुत की जानी चाहिए।
2. समस्त निविदा कार्यवाही राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के अन्तर्गत की जा रही है । अतः इनके प्रावधान प्रभावी रहेगें ।
3. निविदा निर्धारित निविदा प्रपत्र में ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, अन्यथा अस्वीकार कर दी जावेगी। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से 200/–रू0 निविदा शुल्क जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदायें दिनांक 29.11.2024 से अधीक्षण अभियन्ता (यॉ.एवं छि), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर के कमरा नम्बर 336 में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र जिस नाम से जारी किये जायेंगें उसी के द्वारा प्रस्तुत किये जा सकेंगें। निविदा विभागीय वेबसाईट http://www.mines.rajasthan.gov.in व http://sppp.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए निविदा शुल्क हेतु राशि रु0 200/–(यदि निविदा कार्यालय में नकद राशि जमा करा कर प्राप्त नही की गई हो तो) का डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर चैक, "Superintending Engineer (mechanical & Drilling" payable at Udaipur." के नाम से देय, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा ।
4. निविदायें दिनांक 11.12.2024 प्रातः 11:00 बजे तक अधीक्षण अभियन्ता (यॉ.एवं छि), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर के कमरा नम्बर 336 में जमा करवायी जा सकेगी। डाक/कुरियर से प्रेषित निविदाऐं भी दिनांक 11.12.2024 प्रातः 11:00 बजे तक कार्यालय के कमरा नम्बर 336 में प्राप्त होनी आवश्यक है। देरी से प्राप्त निविदाओं पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जावेगा। निविदा फार्म सही तरीके से प्रत्येक कॉलम की पूर्ति करते हुये भरा जाये किसी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं की जाये। ओवरराईटिंग होने पर लधु हस्ताक्षर करें । निविदायें अंक और शब्दों दोनों में भरनी अनिवार्य हैं। अपूर्ण निविदा तथा सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा फॉर्म एवं उसके साथ संलग्न प्रत्येक दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता को हस्ताक्षर करने अनिवार्य हैं।
5. बिड सिक्युरिटी राशि बेंकर चैक/पे–आर्डर अथवा डी0डी0के रूप में ही स्वीकार होगी । बिड सिक्योरिटी राशि के रूप में किसी भी प्रकार की बैंक गारन्टी स्वीकार नहीं की जावेगी । केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपकम को बिड सिक्योरिटी में पूर्ण छूट है । नियमानुसार बिड सिक्युरिटी राशि निविदा की अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत (रू0 19800/–) होगी जो कि प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ ही जमा करवानी होगी । बिना बिड सिक्युरिटी राशि के किसी भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा । डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर चैक, "Superintending Engineer (mechanical & Drilling)" payable at Udaipur." के नाम से देय, होंगे। निविदा शुल्क नॉन रिफन्डेबल होगा।

6. निम्नलिखित मामलों में बिड़ सिक्युरिटी जब्त कर ली जाएगी
    1. जब निविदाकर्ता निविदा खोलने के बाद लेकिन निविदा की स्वीकृति से पहले निविदा को वापस ले लेता है या संशोधित करता है।
    2. जब निविदाकर्ता निर्दिष्ट समय के भीतर [illegible]
    3. जब निविदाकर्ता आपूर्ति आदेश दिए ज[illegible] बाद परफोरमेन्स सिक्यो[illegible] जमा नहीं करता है।
    4. जब वह निर्धारित समय के भीतर आदेश के अनुसार सेवा प्रदायगी शुरू करने में विफल रहता है।

Signature valid
Digitally signed by Prabhu Dayal Soni
Designation : Superintending Engineer Mechanical and Drilling
Date: 2024.11.29 1[illegible]:24:12 IST
Reason: Approved

AnyScanner

7. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी करने की तिथी से 7 दिन में रु0 500/–का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेन्ट करना होगा एवं कार्यादेश में अंकित राशि की 5% राशि परफोर्मेन्स सिक्युरिटी के रूप में जमा करानी होगी। यदि परफोरमेन्स सिक्युरिटी की राशि में कोई संशोधन होता है तो सफल निविदादाता को नियमानुसार संशोधित राशि जमा करानी होगी। एग्रीमेन्ट से सम्बन्धित समस्त व्यय का वहन निविदादाता को ही करना होगा। परफोर्मेन्स सिक्युरिटी, "Superintending Engineer (mechanical & Drilling)" payable at Udaipur." के नाम पर देय जमा करानी होगी।

8. निम्नलिखित मामलों में पूर्ण या आंशिक रूप से परफोरमेन्स सिक्युरिटी राशि जब्त की जा सकती है
    - जब निविदा/ अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किया जाता है।
    - जब निविदाकर्ता पूरी सेवाएं संतोषजनक ढंग से करने में विफल रहता है।

9. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्राप्त किये जाने/खोले जाने की दिनांक को अवकाश रहता है तो निविदा प्राप्त किये जाने /खोले जाने की कार्यवाही स्वतः ही अगले कार्य दिवस को होगी ।

10. न्यूनतम दरों को स्वीकार करने के लिये विभाग बाध्य नहीं है एवं प्राप्त निविदा को अथवा उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है ।

11. कार्य की दर शब्दों एवं अंको में स्पष्ट करना अनिवार्य है । किसी भी स्थिति में कार्य हेतु कोट की गई दर बदली नहीं जा सकेगी ।

12. कटिंग/ओवर राईटिंग को निविदादाता को स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित करना होगा अन्यथा निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा ।

13. आपसी सहमति से कार्य की अवधि नियमानुसार बढाई जा सकती है ।

14. किसी भी परिस्थिति में कार्य का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा ।

15. भुगतान में किसी भी प्रकार के विलम्ब हेतु किसी भी प्रकार का ब्याज विभाग के द्वारा देय नहीं होगा ।

16. किसी प्रकार के देय कर निविदादाता द्वारा ही अपने स्तर से जमा कराने होंगे ।

17. यदि कार्य सन्तोषजनक नहीं होगा तो बिल राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है । बार–बार शिकायत आने पर 15 दिन का नोटिस देकर प्रतिभूति जब्त करते हुए ठेका निरस्त किया जा सकता है ।

18. निविदा मासिक व्यय के आधार पर वित्तीय वर्ष के बचे शेष माहों के लिए की जानी है एवं निविदादाता को मासिक बिल आगामी माह की 7 तारीख तक प्रस्तुत करने होंगे ।

19. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा ।

20. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा चोरी या कोई नुकसान किये जाने पर उसकी बसूली अनुमोदित निविदाकार से की जावेगी ।

21. आउट सोर्सिंग के आधार पर सेवाओं की आपूर्ति सन्तोषप्रद नहीं होने पर अथवा सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहने पर संविदा किसी भी समय निरस्त की जा सकती है ।

22. समय– समय पर मशीन/ परियोजनाओं के केम्प बदलने पर किसी भी प्रकार का गाडी भाडा/ यात्रा व्यय प्रभार आउट सोर्सिंग के भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाताओं की होगी ।

23. बिडस एक वर्ष तक मान्य होगी लेकिन परस्पर सहमति से 50 प्रतिशत तक पुनरावृति की जा सकेगी । बिड्स में अंकित राशि 31 मार्च 2025 तक के लिये है ।

24. बिड प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा । पेन्सिल से भरी बिड पर विचार नहीं किया जायेगा । बिडर, बिड व भार्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा ।

25. बिडर स्वीकृति संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सोंपेगा या उपभाडे (सबलेट)पर नहीं देगा ।

26. परियोजना केम्प/ मशीन कार्यस्थल पर आउट सोर्सिंग कार्य की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं इस कार्य हेतु अनुबन्ध में उल्लेखित दर के अलावा कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी ।

27. छिद्रण विंग उदयपुर जोन के अधीन छिद्रण मशीनें विभिन्न परियोजनाओं पर कार्यरत है । उदयपुर जोन की सीमा में मशीन को किसी भी परियोजना पर शिफ्ट किया जा सकता है। उदयपुर जोन में उदयपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ, भीलवाडा, जयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा, बारां, चित्तौडगढ, सिरोही एवं राजसमंद जिले आते है । छिद्रण मशीन/केम्प पर चौकीदारी के लेबर कार्य की सेवा के लिये आमंत्रित की जा रही है ।

28. ठेकेदार को किये गये भुगतान में से नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी इसके अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा । सेवाकर यदि लागू हो तो ठेकेदार द्वारा जमा करवाना होगा और उसकी रसीद प्रस्तुत करनी होगी ।

Signature valid
Digitally signed by Prabhu Dayal Soni
Designation : Superintending Engineer Mechanical and Drilling
Date: 2024.11.29 11:24:12 IST
Reason: Approved

29. प्रभारी अधिकारी / वैधक प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा व प्रभारी अधिकारी / वैधक प्रभारी को परिस्थितिवश अधिकार होगा कि वह कार्य में कमी / वृद्धि कर सके ।
30. ठेकेदार को जब कभी भी वार्ता हेतु कार्यालय / साईट पर बुलवाया जायेगा तो उसको उपस्थित होना होगा
31. ठेकेदार द्वारा दी गई कोई भी अन्य शर्ते मान्य नहीं होगी।
32. किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र उदयपुर भाहर ही होगा ।
33. वित विभाग के परिपत्र 2011 दिनांक 4.3.2013 के संलग्न ए.बी.सी. व डी में वर्णित निर्देशों की पालना भी ठेकेदार को सुनिश्चित करनी है ।
34. ठेकेदार द्वारा किये जाने वाले कार्य का निर्धारण / विवरण (SCOPE OF WORK) का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए RTTP ACT AND RULES तथा वित्त विभाग के परिपत्र 1 / 2018 दिनांक 30.4.2018 एवं 14.11.2018 की पालना सुनिश्चित करें ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम व डाक का पता मय टेलीफोन न0

निविदादाता के हस्ताक्षर

Signature valid

Digitally signed by Prabhu Dayal Soni
Designation : Superintending Engineer Mechanical and Drilling
Date: 2024.11.29 11:24:12 IST
Reason: Approved

No.: 12 18755

AnyScanner

कार्यालय,अधीक्षण अभियन्ता(यॉ.एवं छि.) खान एवं भूविज्ञान विभाग
रोड़वेज वर्कशॉप के सामने, गोवर्धन विलास रोड, सेक्टर–13, उदयपुर, (राज.)
Email- se.mdudaipur@rajasthan.gov.in Phone No. 0294-2484551

PART-B

निविदा छिद्रण यंत्र आर.डी.30(iii), नि.ग्राम मडंला परियोजना तह. सोजत सिटी जिला पाली, आर.डी.60(iv) नि. ग्राम देवलापाल परियोजना तह.धरियावद जिला प्रताप गढ, आर.डी.30(ii) नि.ग्राम आवंलहेडा परियोजना तह. व जिला चित्तौडगढ, एवं आर.डी.60(iii) नि.ग्रा. श्यामगढ केसरपुरा तह0 ब्यावर जिला अजमेर परियोजनाओं पर छिद्रण यंत्रों / छिद्रण उपकरणों की चौकीदारी करना व सहायक सेवाऐं मशीन प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य एवं छिद्रण भण्डार में श्रमिक की प्रदायगी हेतु की जा रही है। छिद्रण विंग उदयपुर जोन के अधीन छिद्रण मशीनें विभिन्न परियोजनाओं पर कार्यरत है । उदयपुर जोन की सीमा में मशीन को किसी भी परियोजना पर शिफ्ट किया जा सकता है । उदयपुर जोन में उदयपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ, भीलवाडा, जयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा, बारां, चित्तोडगढ, सिरोही एवं राजसमंद जिले आते है ।

मशीनों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है

छिद्रण यंत्र आर.डी.30(3) केम्प नि.ग्रा.मंडला तहसील सोजत सिटी जिला पाली ।
छिद्रण यंत्र आर.डी.60(4) नि.ग्रा. देवलापाल, तह.धरियावद जिला प्रतापगढ ।
छिद्रण यंत्र आर.डी.30(2) नि.ग्रा. आंवलहेडा तहसील व जिला चित्तोडगढ ।
छिद्रण यंत्र आर.डी.60(3) नि.ग्रा. श्यामगढ केसरपुरा तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।

निविदा के नियम एवं शर्ते

1– कार्य कार्यादेशानुसार एवं निविदादाता द्वारा किये गये अनुबन्ध के अनुसार ही होगा ।

2– बोलीदाता द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगाः–

क्र. स.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा निधि अधिनियम,1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आय कर (PAN)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

Signature valid
Digitally signed by Prabhu Dayal Soni
Designation : Superintending Engineer Mechanical and Drilling
Date: 2024.11.29 1[illegible]:24:12 IST
Reason: Approved

नोटः– यदि उपरोक्त मे से कोई नियम बोलीदाता पर लागु नही [illegible] का अंडरटेकिंग कारण सहित संलग्न करना होगा।

AnyScanner

3– निम्न प्रपत्र के अनुसार बोलीदाता को मेनपावर उपलब्ध कराने होंगे एवं उनको विधि के अनुरूप निम्नानुसार भुगतान करना अनिवार्य होगा :–

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही होगी।				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर प्रति व्यक्ति प्रति माह	श्रमिकों की संख्या	राशि		
1	2	3		4	5	6	7
	आउट सोर्सिंग के आधार पर छिद्रण यंत्र/उपकरणों की श्रमिकों द्वारा चौकीदारी एव अन्य सहायक सेवाऐ तथा छिद्रण भण्डार में श्रमिकों से कार्य ।	.अकुशल–	7410/–	22		नियमानुसार	नियमानुसार

नोटः– यदि कोई प्रावधान लागु ना हो तो पृथक से अंडरटेकिंग कारण सहित संलग्न करना होगा।

छिद्रण विंग उदयपुर जोन के अधीन छिद्रण भण्डार एवं छिद्रण मशीनें विभिन्न परियोजनाओं पर कार्यरत है । उदयपुर जोन की सीमा में मशीन को किसी भी परियोजना पर शिफ्ट किया जा सकता है । उदयपुर जोन में उदयपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ, भीलवाडा, जयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा, बारां, चित्तोडगढ, सिरोही एवं राजसमंद जिले आते है । छिद्रण मशीन/केम्प पर चौकीदारी व लेबर कार्य की सेवाओं के लिये आमंत्रित की जा रही है ।

5– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधनों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित बोलीदाता का होगा ।

6– राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ विभाग को प्रस्तुत करनी होगी।

7– बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बधित बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण विभाग को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण बाबत् विभाग की संतुष्टि होने पर ही बोलीदाता को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

8– श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं बिन्दु सं. 3 के अनुसार श्रमिकों को भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित बोलीदाता/संवेदक का होगा।

9– श्रमिकों को निर्धारित न्युनतम मजदुरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्युनतम मजदुरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर विभाग द्वारा संवेदक को बढी हुई न्युनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

10– बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिससे नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Prabhu Dayal Soni
Designation : Superintending Engineer Mechanical and Drilling
Date: 2024.11.29 1?:24:12 IST
Reason: Approved

11– संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक/बोलीदाता का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं

संवेदक द्वारा न्युनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने सम्बंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

12— राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

13— संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होंगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह मे जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

14— श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमो, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि कें अर्न्तगत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायित्व होगा।

15— यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

16— नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औधोगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

17— कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।

18— यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किए जाने की शिकायत विभाग को प्राप्त होती है तो विभाग इस संबंध में श्रम विभाग को सूचित करेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगा।

19— अकुशल श्रमिकों की संख्या आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा की जा सकेगी ।

20— निविदा में यदि सामान दर आती है तो उस केस में जिसका टर्न ओवर ज्यादा होगा उस फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम व डाक का पता मय टेलीफोन न0

Signature valid

निविदादाता के हस्ताक्षर

Digitally signed by Prabhu Dayal Soni
Designation : Superintending
Engineer Mechanical and Drilling
Date: 2024.11.29 1[illegible]:24:12 IST
Reason: Approved

AnyScanner

कार्यालय,अधीक्षण अभियन्ता(यॉ.एवं छि.) खान एवं भूविज्ञान विभाग

रोड़वेज वर्कशॉप के सामने, गोवर्धन विलास रोड, सेक्टर–13, उदयपुर, (राज.)

Email- se.mdudaipur@rajasthan.gov.in Phone No. 0294-2484551

वित्तीय निविदा प्रपत्र

1. अनुबन्ध पर आउट सोर्सिंग के आधार पर सेवाओं के लिए बिड हेतु खुली बोली सूचना संख्या 2/2024–25
2. निविदादाता का नाम, पता व कोन्टेक्ट नं0

   मैसर्स...

3. निविदा शुल्क नकद रसीद संख्या–––––––––दिनांक–––––––––राशि रु. 200/– जमा करा दिये गये है या डी.डी. कमांक ––––––– दिनांक ––––––––– रु. 200/–
   –––––––––– (बैंक का नाम) संलग्न कर प्रेषित है।

4. बिड़ सिक्युरिटी डी.डी. कमांक ––––––– दिनांक ––––––––– रु. ––––––––––(बैंक का नाम) संलग्न कर प्रेषित है।

मैं/हम निम्नानुसार निविदा दरें प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

कं0 सं0	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रति व्यक्ति प्रति माह	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति प्रति माह दर कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं हो)	EPF दर 13 प्रतिशत	ESI दर 3.25 प्रतिशत (= कॉलम सं. 5 में अंकित राशि का x3.25 %)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (न्यूनतम राशि रूपये होना अनिवार्य है पैसे में राशि स्वीकार्य नहीं होगी)	GST दर 18 प्रतिशत (=कॉलम सं. 5 में अंकित राशि का x18%)	कुल राशि (रु में) (5+6+7 +8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	आउट सोर्सिंग के आधार पर छिद्रण यंत्र/उपकरणो की श्रमिको द्वारा चौकीदारी एवं अन्य सहायक सेवाऐ तथा छिद्रण भण्डार में श्रमिकों से कार्य ।	अकुशल–22	7410/–		कॉलम सं. 5 में अंकित राशि का 13%	कॉलम सं. 5 में अंकित राशि का 3.25%		कॉलम सं. 5 में अंकित राशि का x18%	

Signature valid

Digitally signed by Prabhu Dayal Soni
Designation : Superintending Engineer Mechanical and Drilling
Date: 2024.11.29 17:24:12 IST
Reason: Approved

AnyScanner

1. खुली बोली निविदा सूचना कमांक. 1/2024–25 दिनांक 29.11.2024 एवं इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तो का अध्ययन, अवलोकन एवं मनन कर लिया है और समस्त शर्तो से सहमत हुँ एवं इन शर्तो की स्वीकृति के क्रम में शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
2. मेरे द्वारा उक्त दरें सम्पूर्ण बिड़ डॉक्युमेन्ट पढने के बाद ही कोट की गई है तथा निविदादाताओं के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश के अनुसार समस्त दस्तावेज संलग्न कर दिये गये हैं।
3. प्रस्तावित दरें अनुबन्ध की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी। विभाग द्वारा अनुबन्ध की अवधि नियमानुसार बढाई जा सकेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता
नामः
मोबाईल नम्बर

Signature valid
Digitally signed by Prabhu Dayal Soni
Designation : Superintending Engineer Mechanical and Drilling
Date: 2024.11.29 1?:24:12 IST
Reason: Approved

AnyScanner

<u>खुली निविदा सूचना संख्या 2/2024–25</u>

<u>निविदा दाताओं द्वारा घोषणा</u>

मैं/हम घोषणा करते है कि मैने/हमने आउट सोर्सिंग के आधार पर कार्य करने के लिए निविदा दी है उनका/उनके मैं/ हम पंजीकृत संस्था/सहकारी समिति/श्रम विभाग से पंजीकृत है ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी उच्च कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभुति को पूर्ण रूप से समपह्नत का लिया जाएगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है,रदद कर दिया जाएगा। इस तरह के मामले में मैं /हम किसी भी नुकसान / दावा करने के हकदार नहीं होगे ।

दिनांकः–

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

Signature valid

Digitally signed by Prabhu Dayal Soni
Designation : Superintending Engineer Mechanical and Drilling
Date: 2024.11.29 1?:24:12 IST
Reason: Approved

AnyScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय,अधीक्षण अभियन्ता(यॉ.एवं छि.) खान एवं भूविज्ञान विभाग

रोड़वेज वर्कशॉप के सामने, गोवर्धन विलास रोड, सेक्टर–13, उदयपुर, (राज.)

Email- se.mdudaipur@rajasthan.gov.in Phone No. 0294-2484551

कार्य का विवरण (Scope Of Work)

1.

1– कार्यालय के अधीन विभागीय छिद्रण परियोजनाओं पर कार्यरत छिद्रण यंत्र निविदा छिद्रण यंत्र आर.डी.30(iii), नि.ग्राम मडंला परियोजना तह. सोजत सिटी जिला पाली, आर.डी.60(iv) नि.ग्राम देवलापाल परियोजना तह.धरियावद जिला प्रताप गढ, आर.डी.30(ii) नि.ग्राम आवंलहेडा परियोजना तह. व जिला चित्तौडगढ, एवं आर.डी.60(iii) नि.ग्रा. श्यामगढ केसरपुरा तह0 ब्यावर जिला अजमेर परियोजनाओं पर छिद्रण यंत्रों, छिद्रण उपकरणों जैसे छिद्रण रोडस, कोर बैरल, बिटस, केसिंग पाईप इत्यादि मड पम्प, वाटर टेंकर, ट्रेक्टर, ट्रोली, पानी की टंकियॉ एवं केम्प की चौकीदारी तथा छिद्रण भण्डार में श्रमिक द्वारा कार्य करना ।

2– छिद्रण कार्य हेतु ट्रेक्टर– टैंकर से पानी लाने में मदद करना तथा मड पम्प को चैनल एवं पिट तक व्यवस्थित रखने में मदद करना ।

3– छिद्रण कार्य के दौरान श्रमिक सम्बन्धित सभी कार्य जैसे छिद्रण रोडस की लोअरिंग एवं पुलिंग का कार्य, छिद्रण रोडस को व्यवस्थित रखना, छिद्रण मशीन की साफ सफाई इत्यादि कार्यो में मदद करना ।

4– छिद्रण कार्य के दौरान प्राप्त कोर को कोर बोक्सों में व्यवस्थित रखवाने में मदद करना।

5– छिद्रण परियोजनाओं पर मशीन प्रभारी/मशीन इंचार्ज के दिये गये सभी निर्देशों की पालना करना ।

6– कार्यालय द्वारा समय–2 पर दिये गये आदेशों की पालना करना ।

7– छिद्रण भण्डार में श्रमिकों से छिद्रण उपकरणों को लोडिंग, अनलोडिंग एवं छिद्रण भण्डार की साफ सफाई इत्यादि स्टोर कीपर के निर्देशानुसार करानी है ।

(पी.डी.सोनी)
अधीक्षण अभियन्ता(यॉ.एवं छि)
उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Prabhu Dayal Soni
Designation : Superintending Engineer Mechanical and Drilling
Date: 2024.11.29 1?:24:12 IST
Reason: Approved

AnyScanner

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(I) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or

(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or

(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid;

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) [illegible] engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature valid
Digitally signed by Prabhu Dayal Soni
Designation : Superintending Engineer Mechanical and Drilling
Date: 2024.11.29 [illegible]:23:57 IST
Reason: Approved

AnyScanner

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No..............Dated................I/we ....hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency In Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document Issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;.

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Signature valid

Digitally signed by Prabhu Dayal Soni
Designation : Superintending Engineer Mechanical and Drilling
Date: 2024.11.29 17:23:57 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

AnyScanner

Annexure C - Grievance Redressal during Procurement Process

Designation and the address of the first Appellate Authority is: Additional Director (Geology) Mines & Geology Department Udaipur (Raj)
Designation and the address of the first Appellate Authority is: Director, Mines & Geology Department Udaipur (Raj)

(1) Filing an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Providing that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filled only by a Bidder who has participated in procurement proceeding:

Providing further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidder Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for Filling Appeal

(a) Fee for first appeal shall be two thousand five hundred and ... rupees ten thousand, which shall be non refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft ... Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority ...

Signature valid
Digitally signed by Prabhu Dayal Soni
Designation : Superintending Engineer Mechanical and Drilling
Date: 2024.11.29 1?:23:57 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

AnyScanner

Procedure for disposal of appeal

[illegible] Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, [illegible] appeal, shall issued notice accompanied by copy of appeal [illegible] documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

[illegible] the date of fix hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate [illegible] case may be shall,-

[illegible] Hear all the parties to appeal present before him; and

[illegible] Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the [illegible]

[illegible] After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant record [illegible] thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an [illegible] writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

[illegible] The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature valid

Digitally signed by Prabhu Dayal Soni
Designation : Superintending Engineer Mechanical and Drilling
Date: 2024.11.29 1[illegible]:23:57 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

AnyScanner

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. .... of ....

Before the ....(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of Appellant:

    (i) Name of the appellant:

    (ii) Official address, if any:

    (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s)

    (i)

    (ii)

    (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or mission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposed to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

....

....

....

(supported by an affidavit)

7. Prayer :

....

....

....

Place..................

Date..................

Appellant's

Signature

Signature valid

Digitally signed by Prabhu Dayal Soni
Designation : Superintending Engineer Mechanical and Drilling
Date: 2024.11.29 1?:23:57 IST
Reason: Approved

No. 11 16820

Scanned with OKEN Scanner

AnyScanner

Annexure-'D'

ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

1. **Correction of Arithmetic Errors:-**

Provided that a financial Bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

(i) If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price will prevail and the total price will be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted will govern and the unit price will be corrected;

(ii) If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the sub totals will prevail and the total will be corrected; and

(iii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words will prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures will prevail subject to clause (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid will be disqualified and its Bid security will be forfeited or its Bid securing declaration will be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

The quantity mentioned in the Bid is the minimum approximate quantity that the bidder will have to compulsorily supply to specified destination.

(a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit process or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(b) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procure less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.

(c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity will not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity will be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred will be recovered from the supplier.

3. **DIVIDING QUANTITIES AMONG MORE THAN ONE BIDDER AT THE TIME OF AWARD (IN CASE OF PROCUREMENT OF GOODS):-**

As a general rule all the supply will be taken from successful bidder ... accepted, However, when it is considered that the quantity of the subject matter of supply to be supplied is very large and it may not be in the capacity of the bidder,

Signature valid
Digitally signed by Prabhu Dayal Soni
Designation: Superintending Engineer Mechanical and Drilling
Date: 2024.11.29 1?:23:57 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

AnyScanner

hose Bid is accepted to deliver the entire quantity or when it is considered that the ubject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such ases, the quantity may be divided between the bidder, whose Bid is accepted and e second lowest bidder or even more bidders, in that order, in a fair, transparent nd equitable manner at the rates of the bidder, whose Bid is accepted.

te:
ce:

Signature of Bidder with Seal
Name:
Designation:
Address:

Signature valid
Digitally signed by Prabhu Dayal Soni
Designation : Superintending Engineer Mechanical and Drilling
Date: 2024.11.29 1?:23:57 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanne

AnyScanner